समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या- 59/2021

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, (द.वि.वि.नि.लि.),
छिबरामऊ, कन्नौज ।

------- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 22.11.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, छिबरामऊ, कन्नौज (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने विद्युत संयोजन 8334124000 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये ।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (c) के अनुसार किया जाये ।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाये ।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे ।

इण्डस टावर लि. कसावा, छिबरामऊ का संयोजन सं. 334124000 स्वीकृत भार 16.667 KVA का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 2,36,710/- था ।

आगे जारी है ।

विपक्षी द्वारा जवाबदावा (का. सं. 3/1 ता 3/6) दाखिल किया गया है। धारा 1 के कथन विवादित नहीं है। धारा 2 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में टेली कम्यूनिकेशन डिर्पाटमेंट से जारी फर्म / परिवादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कोई प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया गलत है तथा इस आधार पर ही परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन विधिक प्रावधानों से सम्बन्धित हैं जिनके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 4 के कथन में यह स्वीकार है। परिवादी का स्वीकृत भार 16.667 के.वी.ए. है। जिसके कारण विद्युत का उपभोग न करने के बावजूद भी परिवादी फिक्स्ड चार्ज और मिनिमम चार्ज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। धारा 5 के कथन असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी का मीटर सही प्रकार से काम कर रहा है। यदि परिवादी को मीटर में कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो वह उक्त को प्रार्थना पत्र देकर तथा निर्धारित जांच शुल्क द्कर मीटर की जांच करा सकता है। धारा 6 के कथन के संदर्भ में यह बताना है कि परिवादी के द्वारा माह दर माह के बिल का भुगतान न करने के कारण परिवादी के ऊपर दिनांक 29.08.2020 तक कुल बकाया धनराशि रू. 2,48,737/- थी। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि परिवादी के द्वारा 24.03.2018 के बिल रू. 2,55,383/- के विरूद्ध रू. 2,05,140/- का भुगतान तथा दिनांक 04.10.2018 के बिल के विरूद्ध रू. 28,195/- के बिल का मात्र भुगतान किया गया। शेष आगे के बिलों का भुगतान नहीं किया गया। जिसके कारण परिवादी के बिल माह दर माह विद्युत उपभोग तथा लेट पेमेन्ट सरजार्ज के साथ बढ़ते गये जिनका भुगतान करने के लिये परिवादी जिम्मेदार है। परिवादी के द्वारा दिनांक 25.01.2022 को रू. 4,45,966/- का भुगतान किया था। उक्त तिथि पर परिवादी के ऊपर कोई धनराशि शेष नहीं रह गयी थी। उपभोक्ता के लेजर की फोटो प्रतिलिपि इस जवाब का संलग्नक 1 है। धारा 7 के कथन विधिक है किन्तु यहां यह बताना आवश्यक है कि परिवादी को जारी हो रहे प्रत्येक माह के बिल में पूर्व माह की बिल की बकाया धनराशि को अगले माह जारी होने वाले बिल में जोड़ दिया जाता है। जिसके कारण परिवादी किसी प्रकार से उत्तररित धारा में वर्णित धारा 56(2) विद्युत अधिनियम 2003 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। धारा 8 के कथन असत्य व अस्वीरार है। परिवादी को बिल धनराशि का भुगतान न करने के कारण मय लेट पेमेन्ट सरचार्ज के बिल जारी किये जा रहे है। धारा 9 के कथन के संदर्भ में यह बताना है कि परिवादी को वर्ष 2012 से निर्बाध अर्थात बिना विद्युत कटौती के विद्युत सप्लाई अर्बन सप्लाई की तरह की जा रही थी। जिसके कारण उसको बिल अर्बन सप्लाई के टैरिफ के अनुसार जारी किये गये। किन्तु वर्तमान समय में ग्रामीण फीडर की तरह विद्युत सप्लाई होने के कारण उसे ग्रामीण फीडर की छूट के अनुसार जारी किये जा रहे है। धारा 10 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा कोई भी शिकायत मीटर के खराब होने के संदर्भ में नहीं की गयी। और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया। धारा 11 के कथन जिस प्रकार लिखें गये है असत्य व अस्वीकार है। क्लांज 5.5(ए) के अनुसार नये संयोजनो पर नया विद्युत मीटर जांचोपरान्त ही लगाकर सील किया जाता है एवं समय-समय पर सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया जाता है। धारा 12 के कथन विधिक है जिसके कारण उक्त के संदर्भ में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 13 के कथन में क्लांज 6.5 b(i) के प्रावधान उल्लिखित किये गये है जो कि विधिक है। जिनके संदर्भ में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरित धारा के शेष कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी को यदि कोई त्रुटि बिल में प्रतीत होती थी तो वह अपना प्रतिवेदन

आगे जारी है।

विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता था। जो कि परिवादी के द्वारा नहीं किया गया। तथा सीधे परिवाद माननीय फोरम में दाखिल किया गया। जो कि पोषणीय नहीं हैं। तथा निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 14 के कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के बिल की गणना गलत प्रकार से नहीं की गयी है। यदि कोई त्रुटि है तो उक्त को साक्ष्य प्रस्तुत कर तथा बिल को सुधारने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त बिल को ठीक कराने की कार्यवाही परिवादी के द्वारा की जा सकती है। परिवादी के विधिक अधिकारों का उल्लंधन नहीं किया गया है। परिवादी के द्वारा बकाया बिल धनराशि दिनांक 25.01.2022 को रु. 4,55,966/- को जमा कर दिया है जिसके कारण विवाद का कारण शेष नहीं है।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाँह को तथा विपक्षी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, छिबरामऊ, जिला कन्नौज के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) परिवादी का संयोजन सं. 334124000 और उसका स्वीकृत भार 16.667 के.वी.ए. है। जिसके कारण विद्युत का उपभोग न करने के बावजूद भी परिवादी फिक्स्ड चार्ज और मिनिमम चार्ज का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। परिवादी का मीटर सही प्रकार से काम कर रहा है। यदि परिवादी को मीटर में कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो वह उक्त को प्रार्थना पत्र देकर तथा निर्धारित जांच शुल्क देकर मीटर की जांच करा सकता है। परिवादी के द्वारा माह दर माह के बिल का भुगतान न करने के कारण परिवादी के ऊपर दिनांक 29.08.2020 तक कुल बकाया धनराशि रू. 2,48,737/- थी। यहां यह बताना भी आवश्यक है कि परिवादी के द्वारा 24.03.2018 के बिल रू. 2,55,383/- के विरूद्ध रू. 2,05,140/- का भुगतान तथा दिनांक 04.10.2018 के बिल के विरूद्ध रू. 28,195/- के बिल का मात्र भुगतान किया गया। शेष आगे के बिलों का भुगतान नहीं किया गया। जिसके कारण परिवादी के बिल माह दर माह विद्युत उपभोग तथा लेट पेमेन्ट सरजार्ज के साथ बढ़ते गये जिनका भुगतान करने के लिये परिवादी जिम्मेदार है। परिवादी के द्वारा दिनांक 25.01.2022 को रू. 4,45,966/- का भुगतान किया था। उक्त तिथि पर परिवादी के ऊपर कोई धनराशि शेष नहीं रह गयी थी। परिवादी को वर्ष 2012 से निर्बाध अर्थात बिना विद्युत कटौती के विद्युत सप्लाई अर्बन सप्लाई की तरह की जा रही थी। जिसके कारण उसको बिल अर्बन सप्लाई के टैरिफ के अनुसार जारी किये गये। किन्तु वर्तमान समय में ग्रामीण फीडर की तरह विद्युत सप्लाई होने के कारण उसे ग्रामीण फीडर की छूट के अनुसार जारी किये जा रहे है। क्लांज 5.5(ए) के अनुसार नये संयोजनो पर नया विद्युत मीटर जांचोपरान्त ही लगाकर सील किया जाता है। परिवादी के विधिक अधिकारों का उल्लंधन नहीं किया गया है। परिवादी के द्वारा बकाया बिल धनराशि दिनांक 25.01.2022 को रु. 4,55,966/- को जमा कर दिया है जिसके कारण विवाद का कारण शेष नहीं है।

आगे जारी है।

परिवादी के संयोजन की आपूर्ति ग्रामीण / शहरी किस फीडर से की जा रही है की जांच करा ले यदि Rural feeder से हो ते उस टैरिफ से कर दें। परिवादी अपने बिलों का भुगतान बराबर कर रहा है इससे स्पष्ट है कि बिल का कोई विवाद नहीं है । बिल एवं Consumer Ledger Detail की प्रतिलिपि परिवादी के अधिवक्ता को दिनांक 12.12.2022 को उपलब्ध करा दिया गया था।

उपरोक्त परिस्थितियो में परिवादी द्वारा दाखिल परिवाद आंशिक रुप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोरं, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है और विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की आपूर्ति ग्रामीण/शहरी किस विधा में की जा रही है की जांच सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार लागू टैरिफ के अनुसार संशोधित बिल उपलब्ध करायें। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। विपक्षी अनुपालन आख्या 30 दिवस के अन्दर फोरम को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

19/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 19/12/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

19/12/22

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 19/12/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति